निग0-4285/2018/अहल्फ/शहडोल (59)

न्यायालय में माननीय अध्यक्ष महोदय,म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0 – 84

सर्किट कोर्ट – रीवा (म0प्र0)

बुद्धू काछी पिता श्री सुदामा काछी आयु 52 वर्ष निवासी ग्राम पैरी बहरा तह0 जैतपुर जिला शहडोल म0प्र0 ---निगरानीकर्ता

बनाम

1. बाबूलाल काछी पिता दरवारी काछी आयु 35 वर्ष निवासी ग्राम पैरी बहरा तह0 जैतपुर जिला शहडोल म0प्र0
2. म0प्र0 शासन ---उत्तरदातागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50
म0प्र0 भू0रा0सं0 1959

मान्यवर,

प्रार्थी/निगरानीकर्ता की ओर से निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुतकर सादर विनय है :-

प्रश्नाधीन आदेश

न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील जैतपुर जिला शहडोल म0प्र0 का राजस्व प्रकरण क्र. 09/अ-12/2017-18 बाबूलाल बनाम म0प्र0 शासन ने जारी आदेश दिनांक 11.05.2018 कार्यवाही अन्तर्गत धारा 129 म0प्र0 भू0रा0सं0 1959

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि मामले में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पैरीबहरा जं.नं. 614, पट0 हल्का पैरीबहरा नं. 22, रा0नि0मं0 जैतपुर तह0 जैतपुर जिला शहडोल म0प्र0 स्थित भूमि खसरा नं. 359 जो की काफी बड़ा क्षेत्रफल है म0प्र0 शासन की आराजी थी जिसमें से कुछ लोगों ने अपने पद प्रभाव का दुरूपयोग कर राजस्व अधिकारियों को अपने प्रभाव में लेकर गलत तरीके से व्यवस्थापन करा लिया। इस कारण वर्तमान समय में

(59)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

[redacted] क्रमांक निग0/4265/2018/भू-रा   जिला–शहडोल

बुद्दु काछी/ बाबूलाल काछी

(1)	(2)	(3)
05/8/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रामरहीस राव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील व्यौहारी के प्रकरण क्रमांक 09/अ–12/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को कलेक्टर, जिला शहडोल के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	